राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.12(6)शिक्षा–5/2014

जयपुर, दिनांकः 15/3/2014

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014–15 से प्रभावी प्रवेश प्रकिया संबंधी दिशा निर्देशों के टाईम फेम में संशोधन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र कमांकः प.12 (6) शिक्षा–5/2014 जयपुर, दिनांकः 3.2.2014 के द्वारा सत्र 2014–15 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशानुसार इन दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित टाईम फेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र. सं.	विवरण / गतिविधि	1 अप्रेल से सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ	संशोधित तिथियाँ	1 मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ	संशोधित तिथियां	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	15 फरवरी तक	यथावत	15 मार्च तक	15 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्रों का वितरण	27 फरवरी तक	22 मार्च तक	29 मार्च तक	14 जून तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	28 फरवरी तक	24 मार्च तक	30 मार्च तक	16 जून तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की, वेब पोर्टल पर प्रविष्टी	15 मार्च तक	30 मार्च तक	15 अप्रैल तक	29 जून तक	संबंधित निजी विद्यालय
5	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता कम निर्धारण	20 मार्च	31 मार्च	21 अप्रैल	30 जून	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	21 मार्च से	1 अप्रैल से	22 अप्रैल से	1 जुलाई से	संबंधित निजी विद्यालय
7	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	30 जून तक	30 जून तक यथावत	31 जुलाई तक	31 जुलाई तक यथावत	संबंधित निजी विद्यालय

कमशः .. 2 पर

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूर्वानुसार तत्काल सूचित करावें तथा एनआईसी के माध्यम से वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन को अपलोड करावें।

भवदीय,

वरिष्ठ शासन उप सचिव,

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/सी/निःशुल्क सत्यापन/18878/13–14/5 दिनांकः–18/3/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप–5)शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप–5)शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का श्रम करावें।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा..................को पालनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)................को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर